रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-747/2026/898/22-2-2025-17(599)/2025
लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरनरायन (बन्दी संख्या-17525) पुत्र श्री नथुवा मल्लाह, ग्राम-मम्बहौरी अब्दा, थाना-जतारा, जनपद-टीकमगढ (मध्य प्रदेश) का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-92/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-01, आगरा के आदेश दिनांक 23.08.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 31.05.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह 21 दिन तथा 16 वर्ष 03 माह 14 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, दिनांक 31.05.2024 को बंदी की आयु 45 वर्ष होने एवं जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ (मध्य प्रदेश) के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-747/2026/898(1)/22-2-2025 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ (मध्य प्रदेश)।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ (मध्य प्रदेश)।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।